# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर
## बइजलास परसाराम टाक आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 136/2000

वादीगण

स्वर्गीय लेखराम के कायम मुकामान

1 कुशालराम पुत्र लेखराम
2 लुणाराम पुत्र लेखराम
3 रूकमा पत्नी नथाराम पुत्रवधु लेखराम
4 अर्जुनराम पुत्र नथाराम पौत्र लेखराम
5 तुलछी पुत्री नथाराम
6 भानीराम पुत्र भैराराम

स्वर्गीय श्रीराम पुत्र भैराराम के कायम मुकामान

7 केशर पत्नी श्रीराम
8 खंगाराम पुत्र श्रीराम
9 केहराराम पुत्र श्रीराम
10 मेहराराम पुत्र श्रीराम
11 धरमाराम पुत्र श्रीराम
12 पाना पुत्री श्रीराम
13 गीता पुत्री श्रीराम
14 दोपद्री पुत्री श्रीराम
15 दुर्गाराम पुत्र भैराराम
16 टीकूराम पुत्र भैराराम

कौम मेघवंशी
निवासीगण उटवालिया
तह. व जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादी

स्वर्गीय मदाराम के कायम मुकामान

1 नौजी पत्नी मदाराम
2 रामनारायण पुत्र मदाराम
3 नारायण पुत्र मदाराम
4 पन्नीदेवी पुत्री मदाराम
5 संतोष पुत्री मदाराम

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

6 धापू पुत्री मदाराम
7 भंवरी पुत्री मदाराम
8 धनुडी पुत्री मदाराम
कौम भाम्बी निवासीगण उटवालिया
तह व जिला नागौर

**वाद बेदखली अधीन धारा 183 राज. टेनेन्सी एक्ट**

**निर्णय** 16/1/18

वादीगण द्वारा यह वाद इस आषय का पेष किया है कि उनके खातेदारी एंव कब्जे कास्त का खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 22 बिघा 17 बिस्वा ग्राम उंटवालिया 793 रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा ग्राम उंटवालिया तहसील नागौर आया हुआ है वादीगण का व प्रतिवादी का उक्त दोनो खेत चिपते हुए है। प्रतिवादी गण ने वादी के उक्त खेत की उतरी पष्चिमी कूंट की चार बिघा 17 बिस्वा भूमि पर संवत् 2054 तदअनुसार ईस्वी सन् 1997 के ज्येष्ठ महिने मे बरसात होती है। जबरदस्ती अवैध रूप से अतिक्रमण कर वादीगण के खेत का रकबा 4 बिघा 17 बिस्वा भूमि अपने खेत मे मिला लिया।

प्रतिवादी के उक्त कृत्य पर वादी ने उसे ओलबा दिए जाने पर प्रतिवादी ने बताया कि खेत जोतने वाले ट्रैक्टरके ड्राईवर ने रात के अधेरे मे माठ का ध्यान नही रखा इसलिए आपके खेत की काश्त हो गई है इसलिए ट्रैक्टर का किराया व बीज का खर्चा आप दे देना और अपने खेत मे से फसल भी आप ले जाना।

लेकिन प्रतिवादी ने फसल पकने पर फसल भी काटकर ले गया जिस पर वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व पुलिस थाने मे रिपोर्ट करने की बात कही तो कहा कि मैं अतिक्रमण वाली जमीन को छोड़ दुगा।

लेकिन प्रतिवादी ने संवत् 2055 ईस्वी सन् 1998 मे भी पुनः कब्जा कर काश्तकारी और वादी ने यह वाद पेश कर प्रतिवादी से उसके द्वारा अतिकमित कि गई 4 बिघा 17 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी का कब्जा अवैध व अतिक्रमण का माना जाकर उसे भूमि से बेदखल करने व कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने और प्रतिवादी के वादीगण की भूमि पर कब्जा करने के वर्ष 1997 से कब्जा दिलाए जाने तक की अवधि का हरजाना व मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जरिये वकील उपस्थित होकर वादी के वाद का पैरावार प्रतिउतर पेश कर बताया कि उसका व वादी का खेत अवश्य मौके पर चिपते हुए है मगर उसने वादी के खेत की 4 बिघा 17 बिस्वा भूमि पर न तो अतिक्रमण किया और न ही उसके सामने यह कहा कि ट्रैक्टर वाले ने गलती से आपके खेत की जमीन जोती है न ही कहा कि ट्रैक्टर खर्चा व बीज खर्चा आप देकर इस खेत की फसल आप ले लेना।

प्रतिवादी ने आगे बताया कि वह एक गरीब काश्तकार है अपना खेत कभी भी ट्रैक्टर से नही जुतवाया बल्कि वह अपनी खेती जानवरो से हल जोतकर के करता है उसके खेत खसरा न. 793 के चारो ओर कदिमी माठे बनी हुई है जिस पर प्राकृतिक धोरा एंव ऐसे धोरो पर बहुत पुरानी झांडिया उगी है इसलिए वादी के वाद मे अविष्ठित कथन पूर्णतया झूठे है प्रतिवादी का अपने खेत खसरा न. 793 पर सर्वे के अनुसार बनाया गया नक्शा सीट के अनुसार है प्रतिवादी ने वादी के खेत की जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया है इसलिए वादी का वाद मय हर्जा खर्चा निरस्त करने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी के प्रतिउतर पश्चात प्रकरण सदन मे निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।

वाद बेदखली

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

1 आया खेत ख.न. 792 रकबा 22 बिघा 17 बिस्वा वाके उंटवालिया वादीगण की खातेदारी का खेत है। जिम्मे वादी

2 आया खेत प्रतिवादीगण का खेत खसरा न. 793 रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा वाके ग्राम उंटवालिया वादीगण के खेत के उत्तर पश्चिम मे चिपता है जिम्मे वादी

3 आया खेत प्रतिवादीगण का खेत खसरा न. 792 रकबा 22 बिघा 17 बिस्वा वाके उंटवालिया की 4 बिघा 17 बिस्वा भूमि पर संवत् 2054 तदनुसार 1997 के ज्यैष्ठ महिने मे अतिकमण कर प्रतिवादीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 793 मे मिला लिया जो वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

4 आया खेत प्रतिवादीगण का खेत खसरा न. 793 का रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा है जिम्मे प्रतिवादी

5 आया प्रतिवादीगण ने खेत खसरा न. 793 रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा की खातेदारी भी कला वल्द सदा कोम मेघंवशी से कम की थी जिम्मे प्रतिवादीगण

6 अनुतोष

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे अपने स्वंय के बयान करवाने तथा गवाह PW2 भानिराम पुत्र मोहबत राम के बयान करवाये जो सामिल पत्रावली है वादी ने अपने बयानो मे अपने वाद के समर्थन मे नकल जमा बंदी मौजा उंटवालिया संवत् 2056 से 59 खसरा नम्बर 792 की प्रदर्शित करवाई जो प्रदर्श एक है।

नकल गिरदावरी खसरा न. 792 संवत् 2052 से 55 मौजा उंटवालिया प्रदर्प 2 नक्शा ट्रेस मौजा उंटवालिया ख.न. 792 व 793 प्रदर्श 3

न्यायालय सहायक कलेक्टर नागौर मे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी के वाद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 , प्रतिवादी माधाराम ने अपना खेत ख.न. 793 का सीमांकन करवाने हेतू तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट प्रदर्श 5, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 10.7.2005 प्रदर्श 6, नायब तहसीलदार नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर को भिजवाई कमिश्नर रिपोर्ट का पत्र दिनांक 21.7.2007 प्रदर्श 7, मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.7.2007 प्रदर्श 8, तहसीलदार नागौर के पत्र दिनांक 15.5.2009 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 9, नाप रिपोर्ट दिनांक 25.2.2009 प्रदर्श 10, राजस्व वाद संख्या 4/2001 मधाराम बनाम तहसीलदार की दिनांक 26.6.2007 की ऑर्डर शीट प्रदर्श 11, मौका रिपोर्ट दिनांक 20.7.2007 प्रदर्श 12 ऑर्डर शीट दिनांक 27.6.2007 प्रदर्श 13 तहसीलदार नागौर का पत्र दिनांक 14.7.2006 प्रदर्श 14, मौका रिपोर्ट दिनांक 10.7.2005 प्रदर्श 15 को पेश व प्रदर्शित करवाया जो सामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी ने अपने स्वंय के बयान कलमबद्ध करवाने तथा गवाह DW – 2 श्री चैनसिह के बयान कलम बद्ध करवाये। वादी ने अपने कथनो के समर्थन मे हाल सैटलमैट का नक्शा प्रदर्श –4 पुराने सैटलमेट का नक्शा प्रदर्श – 5 खतौनी मौजा उटवालिया सवत् 2056–54 खसरा नम्बर 793 प्रदर्श – 6 खतौनी संवत् 2020–23 मौजा उटवालिया खसरा नं. 793 प्रदर्श –7 पेशकर करवाया जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रकरण मे बहस वकुलाय सुनी 1 वकील वादी द्वारा अपनी बहस लिखित मे भी पेश की जो शामिल पत्रावली है वकील वादी ने एंव बहस के तर्को के समर्थन ने निम्न न्यायिक दृष्टांक भी पेश की

(1) DNJ (RAJ) 2016 (2) Peg 473-75

(2) DNJ (RAJ) 2015 (2) Peg 540-552

सहायक कलेक्टर
नागौर

Scanned by CamScanner

(3) RRD 2011 Reg 508-529

(4) DNJ 2016 (RAJ) Peg 1354-58

(5) हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारन द्वारा किये गए बहस के तर्को पर मनन किया गया जिसके अनुसार नककिवार विनिश्चय निम्नानुसार है।

तनकी नं. 1 पत्रावली मे शामिल पदश –1 नकल जमाबन्दी सवत् 2056–59 के अनुसार वादीगण मौजा उटवालिया के खसरा नं. 792 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तिनकी नं. 2 पत्रावली मे शामिल वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 3 एंव प्रतिवादी द्वारा प्रस्तूत नक्शा प्रदर्श –4 के अनुसार यह प्रमाणित है कि मौजा उंटवालिया के ख.न. 793 व 792 आपस मे चिपता हुआ है और वादी के खेत ख.न. 792 के उतर पश्चिम मे प्रतिवादी का खेत ख.न. 793 आया हुआ है परिणाम तथा तनकी सख्या 2 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी न. 3 गवाह PW 2 किसनाराम, मानीराम ने अपने बयानो मे बताया कि प्रतिवादी मधाराम ने वादी लेखराम की 4 बिघा 15 बिस्वा भूमि दबाई थी। मधाराम ने अपना खेत 3–4 वार नपाया और मधाराम ने लेखाराम को कहा कि रात मे दबा लिया है समझोता कर लेगे।

प्रतिवादी का गवाह DW 2 अपने बयानो मे बताता है कि मदाराम के खेत के चारो तरफ माठे बनी हुई है अपना खेत जानवरो से ही हल चलाकर जोतता है ट्रैक्टर नही चलाता है इस प्रकार मौखिक गवाह PW 2 व DW 2 के बयान परस्पर विरोधाभाषी है अतः हमने पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट प्रदर्श 6 दिनांक 10.7.2005 का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रतिवादी के खेत का मौका का क्षेत्रफल उसके रिकार्ड के क्षेत्रफल से अधिक बताई गई है और इसमे ख.न. 792 की 9.4 गटठा भूमि बिन्दू सी से डी की लम्बाई मे 69 गटठा भूमि शामिल होना बताया गया है। इस फर्द मौका पर प्रतिवादी के कायम मुकाम नारायणराम के भी हस्ताक्षर है इस फर्द मौका दिनांक 10.7. 2005 प्रदर्श 6 को वादी ने कही पर भी प्रसंगत भी नही किया है परिमाणतया प्रदर्श 6 को सही नहीं मानने के लिए हमारे समक्ष और कोई आधार एंव तथ्य नही है परिणामतय प्रदर्श 6 की बिनाय पर तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष मे प्रमाणी पायी जाती है।

तनकी संख्या 4 पत्रावली के संलग्न वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 4 जो कि प्रतिवादी मदाराम द्वारा न्यायालय हाजा मे खातेदारी हक घोषणा एंव रिकार्ड दुरस्ती हेतू प्रस्तुत वाद पत्र की प्रमाणी प्रति है इसका अवलोकन किया गया तथा स्वयं प्रतिवादी के बयान का अवलोकन किया प्रतिवादी अपने बयानो मे यह स्वीकार कर रहा है कि उसके पिता ने यह खेत भीखाराम से खरीदा था पत्रावली के संलग्न प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 के अनुसार ख.न. 793 भीकला वल्द सदा कौम मेघवंशी साकीन दह के नाम दर्ज है और इस खेत का रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा ही अंकित है प्रतिवादी अपने बयानो मे यह स्वीकार कर रहा है कि उसके पिता ने मह खेत भीखाराम से खरीदा था ।

रिकार्ड प्रदर्श 7 की रूह से भीखाराम के नाम 20 बिघा 10 बिस्वा ही भूमि थी और भीखाराम ने प्रतिवादी स्वर्गिम मदाराम को रिकोर्ड अनुसार 20 बिघा भूमि ही बेची थी। अतः विधिनुसार कम प्रतिफल 20 बिघा का ही दिये जाने पर प्रतिवादी 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि के ही हक व अधिकार रखते है शेष रकबो पर उनके अधिकार बाबत उनकी कोई लोकस स्टेण्डाई नही बनती है परिणामतय तनकी स. 4 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 5 प्रतिवादी स्वर्गिय मदाराम के कायम मुकाम नारायणराम के बयान एंव प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमांबदी प्रदर्श 7 के अनुसार भूमि बंदोबस्त से पहले व वाद मे भीकला वल्द सदा के नाम दर्ज थी जिसे प्रतिवादी मदाराम ने कम किया था इस बात को वादी भी स्वीकार करता है कि यह भूमि भीखाराम से वादी ने कम की थी और रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा ही कम किया था अतः रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी द्वारा ख.न. 793 रकबा 20 बिघा 10 बिस्वा भूमि भिकला से खरीदना प्रमाणित होने से तनकी स.5 प्रतिवादी के पक्ष मे परिमाणित है।

7 अनुतोष प्रकरण मे तनकी सं. 1,2 व 3 वादी के पक्ष मे प्रमाणित होने से तथा तनकी सं. 4 प्रतिवादी के विरूद्व व तनकी सं. 5 प्रतिवादी के पक्ष मे साबीत होने से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ख.न. 793 मे से 20 बिघा 10 बिस्वा भूमि ही पाने का अधिकारी है तथा रिकार्ड व नक्शानुसार ख.न. 793 का प्रदर्श 6 अनुसार दबाया रकबा वादी का है जिसे वादी प्रतिवादी से पाने का अधिकारी है परिणामतय प्रतिवादी प्रदर्श 6 अनुसार बताये गए नाप के अनुसार वादी के खेत ख.न. 792 पर अतिकमी है अतिकर्मित रकबा वादी पाने का अधिकारी है। हमारी राय मे कब्जा गलत फहमी से हुआ है अतः जुर्माना व मुआवजा निर्धारित करना हम उचित नही समझते है।

उपर्युक्त तनकीवार किए गए विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रदर्श 6 अनुसार प्रतिवादी का वादी के खसरा न 792 की भूमि पर किया गया कब्जा तहसीलदार नागौर को आदेशित किया जाता है। अतिचार की श्रेणी मे आता है। लिहाजा प्रतिवादी से ऐसे कब्जाकृत भूमि को अविलम्ब खाली करवाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करे। उचित स्टाम्प ड्यूटि पेश होने पर पक्ष डिगरी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
नागौर

निर्णय आज दिनांक 16/1/18 करें मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
नागौर

Scanned by CamScanner